



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2724]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2016/कार्तिक 27, 1938

No. 2724]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016/KARTIKA 27, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016

का.आ. 3488(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवंबर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, को और संशोधित करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(x) किसानों द्वारा उनके ऋण और अन्य खातों से नकद निकासी की सीमाएं वे होंगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(xi) विवाह संबंधी व्ययों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, बैंक खातों से 2,50,000/- रुपए की अधिकतम नकद निकासी की जा सकेगी।”।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई.1]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसको अधिसूचना सं. का.आ. 3418(अ) तारीख 9 नवंबर, 2016 द्वारा सही किया गया था और का.आ. 3446(अ) तारीख 13 नवंबर, 2016, का.आ. 3449(अ) तारीख 14 नवंबर, 2016 और का.आ. 3479(अ) तारीख 17 नवंबर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2016

S.O. 3488(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S. O. 3407 (E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraph 2, after clause (ix), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(x) the limits for cash withdrawal by farmers from their loan and other accounts shall be such, as may be specified by the Reserve Bank of India;

(xi) for wedding expenses a maximum of Rs. 2,50,000/- may be withdrawn in cash from the bank accounts, subject to such conditions as may be specified by the Reserve Bank of India.”

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3407 (E) dated the 8th November, 2016 and subsequently corrected *vide* notification number S.O. 3418 (E) dated the 9th November, 2016 and amended *vide* S.O. 3446 (E) dated the 13th November, 2016, S.O. 3449 (E) dated the 14th November, 2016 and S.O. 3479 (E) dated the 17th November, 2016.